भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होगा कौशल विकास, बनेगा मास्टर प्लान

88 सौ करोड़ रुपये की तीन स्कीमों के नए चरण का एलान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: युवाओं को पढ़ाई के साथ रोजगार से जोड़ने में जुटी केंद्र सरकार अब उन्हें भविष्य की जरूरत के हिसाब से तैयार करेगी और उनका कौशल विकास भी होगा। इसके लिए सरकार ने कौशल विकास की पहले से चल रही तीन स्कीमों के नए चरण का एलान किया है। इस पर कुल 88 सौ करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमें सबसे अधिक छह हजार करोड़ अकेले कौशल विकास योजना 4.0 पर खर्च होंगे। सरकार ने इसके साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए कौशल विकास की मैपिंग करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने को भी मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में पिछले वर्षों में कौशल विकास को लेकर उठाए गए कदमों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके साथ ही नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को रफ्तार देने को मंजूरी दी गई है, जिस पर 1,942 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी तरह पिछड़े क्षेत्रों में कौशल से जुड़े कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए जन शिक्षण संस्थान को 858 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। यह राशि देशभर के 307 जन शिक्षण संस्थानों पर खर्च होगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान योजना को मिलाकर अब ''कौशल भारत कार्यक्रम'' के तहत कर दिया गया है।

वैष्णव ने कहा कि उद्योगों की मांग और जरूरत को देखते ही कौशल विकास से जुड़े प्रोग्राम चलाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2015 से अब तक करीब 1.60 करोड़ लोगों को कौशल विकास स्कीम से जोड़ा गया है। इसके साथ ही 39 लाख लोगों को नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का लाभ दिया गया है। कौशल को लेकर सरकार का जोर इसलिए भी है क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2025 तक स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले 50 प्रतिशत छात्रों को कौशल विकास से जोड़ने की सिफारिश की गई है। कैबिनेट के इसके साथ ही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल तीन वर्षों के लिए और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है जो अब 31 मार्च, 2028 तक होगा। वहीं, रेलवे में साउथ कोस्ट नाम से एक नया रेलवे जोन बनाने को भी मंजूरी दी है।

नए आयकर विधेयक को मंजूरी, अगले हफ्ते होगा पेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी। नया विधेयक प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में आसान बनाने और कोई नया कर नहीं लगाने की एक कवायद है। इसमें अनिवार्य पूर्व शर्त, स्पष्टीकरण या कठिन वाक्य नहीं होंगे। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि नया आयकर विधेयक अब अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और इसे संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। संसद के मौजूदा बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को खत्म हो रहा है। सत्र 10 मार्च को फिर शुरू होगा और चार अप्रैल तक चलेगा। नए विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में की थी। छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेने वाला नया आयकर विधेयक प्रत्यक्ष कर कानूनों को पढ़ने-समझने में आसान बनाएगा, अस्पष्टता दूर करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा। नया अधिनियम उन सभी संशोधनों और धाराओं से मुक्त होगा जो अब प्रासंगिक नहीं हैं। साथ ही भाषा ऐसी होगी कि लोग इसे कर विशेषज्ञों की सहायता के बिना समझ सकें।